अविप्रा **अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर** अविप्रा

क्रमांक/अविप्रा/सचिव/2021/ 11969 दिनांक 22/11/21.

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की दिनांक 18.11.2021 को प्राधिकरण की परिचलन/परिभ्रमण द्वारा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में परिचलन/परिभ्रमण के द्वारा 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो अजमेर विकास प्राधिकरण की परिचलन बैठक में सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रेषित किये गये।
प्रस्ताव निम्नानुसार थेः–

प्रस्ताव सं. 1:–

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जोन–7 के जोनल डवलपमेंट प्लान का जरिये परिचलन/परिभ्रमण से अनुमोदन कराने बाबत।

अजमेर रीजन के 78 राजस्व ग्रामों को सम्मलित करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2013 से 2033 को दिनांक 05.01.2021 को जारी किया गया। मास्टर प्लान में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को 10 जोन्स में विभाजित कर, प्रत्येक जोन का जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 18/यूडीडी/सेक्टर प्लान/2015–2967–2307 दिनांक 04.04.2019 द्वारा जारी जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के लिये जारी गाईड लाइन के अनुसरण में प्राथमिकता से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन नंबर–7 मेयो कॉलेज जोन का जोनल डवलपमेंट प्लान बनाया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैं।

मेयो कॉलेज जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–7) जोन की सीमायें निम्न प्रकार से है– उत्तर में मार्टिंडल ब्रिज से श्रीनगर रोड़ होते हुए बड़लिया चौराहा तक, पूर्व में बड़लिया चौराहे से परबतपुरा बाईपास होते हुए दक्षिण दिशा में परबतपुरा चौराहे से पश्चिम दिशा में नसीराबाद रोड़ होते हुए उत्तर की ओर मार्टिंडल ब्रिज तक। इस क्षेत्र की पहचान मेयो कॉलेज, मयूर स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, परबतपुरा औद्योगिक क्षेत्र है। इस जोन का क्षेत्रफल 1700 हैक्टेयर है तथा इस जोन की अनुमानित जनसंख्या लगभग 78000 हैं। इस जोन में किरानीपुरा, बड़लिया, पालरा,

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

Scanned with CamScanner

सेंदरिया, परबतपुरा और थोक मालियान गांवो की भूमि सम्मलित है तथा नगर निगम के वार्ड 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, और 56 आशिंक स्थित है।

इस जोन में अजमेर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनायें यथा, धोलाभाटा, गुलाब बाड़ी, आदर्श नगर, जादूगर योजना, गणेश नगर, अशोक नगर, कुम्हार का बाड़ा व अन्य स्वीकृत पी.टी. सर्वे स्थित है। यह समस्त योजनायें विकसित है तथा सुविधाएं इस क्षेत्र में पर्याप्त हैं।

मेयो कॉलेज जोनल डवलपमेंट प्लान प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव आंमन्त्रित किये जोन के लिए समाचार पत्रो में आम सूचना दिनांक 14.10.2021 को जारी कर 14.10.2021 से 02.11.2021 तक (20 दिवस) की अवधि तक अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के ऑक्शन हॉल मे प्रदर्शित किया गया था।

जोनल डवलपमेंट प्लान प्रारूप पर एक आपत्ति प्राप्त हुयी थी जिसके अंतर्गत मेयो लिंक रोड़ के मार्गाधिकार को मास्टर प्लान 2033 के प्रावधानानुसार 120 फिट के स्थान पर वर्तमान चौड़ाई अनुसार रखे जाने का निवेदन किया गया था। चूकिं मास्टर प्लान प्रस्तावो के विपरित जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन किया जाना उचित नही है अतः उक्त आपत्ति का परीक्षण करने उपरांत अस्वीकृत कर दिया गया।

मेयो कॉलेज जोन का विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र 2021 एवं प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र 2033 तैयार किया गया हैं। अतः मेयो कॉलेज जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रस्ताव परिभ्रमण/परिचलन के माध्यम से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव सं. 2:–

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जोन–4 के जोनल डवलपमेंट प्लान का जरिये परिचलन/परिभ्रमण से अनुमोदन कराने बाबत।

अजमेर रीजन के 78 राजस्व ग्रामों को सम्मलित करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2013 से 2033 को दिनांक 05.01.2021 को जारी किया गया। मास्टर प्लान में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को 10 जोन्स में विभाजित कर, प्रत्येक जोन का जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 18/यूडीडी/सेक्टर प्लान/2015–2967–2307 दिनांक 04.04.2019 द्वारा जारी जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के लिये जारी गाईड लाइन के अनुसरण में प्राथमिकता से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन नंबर–4 विश्वविद्यालय जोन का जोनल डवलपमेंट प्लान बनाया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैं।

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

Scanned with CamScanner

विश्वविद्यालय जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन-4) जोन की सीमायें निम्न प्रकार से है- उत्तर में सीकर मुख्य मार्ग पर एन. एच. 89 से एन. एच. 8 पर स्थित आकाशवाणी केन्द्र तक, दक्षिण में एन. एच. 8 पर बडलिया चौराहे से श्रीनगर मार्ग पर राजा साईकिल चौराहे होते हुए मार्टिंडल ब्रिज तक, पूर्व दिशा में एन.एच. 8 पर आकाशवाणी केन्द्र से बाई पास होते हुए बडलिया चौराहा तक और पश्चिम दिशा मे मार्टिंडल ब्रिज से महावीर सर्किल होते हुए लोहागल से सीकर मुख्य मार्ग पर एन. एच. 89 तक।

इस जोन की पहचान महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, सावित्री स्कूल एवं कॉलेज, सोफिया स्कुल एवं कॉलेज राष्ट्रीय मिल्ट्री स्कूल अजमेर, छावनी बोर्ड एंव सी.आर.पी.एफ., बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट, रेवन्यु बोर्ड, अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सी.बी.एस.सी. बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय, जेल, आर.आर.टी.आई, पुलिस लाईन, जनाना अस्पताल, बीचला तालाब एवं घूघरा तालाब आदि है। इस जोन का क्षेत्रफल 5250 हैक्क्टेयर है। इस जोन की अनुमानित जनसंख्या 2,42,000 व्यक्ति है। इस जोन में लोहागल, घुघरा, कांकड़दा, भूणाभाय, रसूलपुरा, मदार एवं थोक मालियान ग्रामो की भूमि सम्मलित है तथा नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एवं 68 सम्मलित है। विश्वविद्यालय जोन में अजमेर विकास प्राधिकरण की जे.पी. नगर योजना, नाका मदार योजना आदि स्थित है।

विश्वविद्यालय जोनल डवलपमेंट प्लान प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव आंमन्त्रित किये जोन के लिए समाचार पत्रो में आम सूचना दिनांक 06.10.2021 को जारी कर 06.10.2021 से 26.10. 2021 तक (20 दिवस) की अवधि तक अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के ऑक्शन हॉल मे प्रदर्शित किया गया था।

जोनल डवलपमेंट प्लान प्रारूप पर कुल 111 आपत्तियां प्राप्त हुई जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. कुल 111 आपत्ति/सुझावों में से 78 आपत्तियां महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से ग्राम कायड़ को जाने वाली मास्टर प्लान की 100 फिट चौड़ी सड़क के पूर्व दिशा में स्थित भू-पटटी जो कि मास्टर प्लान 2023 में अन्य सामुदायिक सुविधाये हेतु आरक्षित थी एवं प्रचलित मास्टर प्लान 2033 में स्पेशल ऐरिया के रूप में दर्शित के संबंध में है। इस क्षेत्र को मास्टर प्लान प्रस्तावो के अनुरूप जोनल डवलपमेट प्लान में स्पेशल ऐरिया दर्शाया गया है जिसका निर्णय राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा। अतः उक्त समस्त आपत्तियो को इकजाई कर राज्य सरकार को भिजवाई जाने के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

Scanned with CamScanner

2. इसी प्रकार से तीन आपत्ति/सुझाव श्रीनगर मुख्य मार्ग पर रेल ओवर ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की ओर उत्तर दिशा में स्थित भूभाग से संबंधित है जिसका भूउपयोग मास्टर प्लान 2023 में आंशिक अन्य सामुदायिक सुविधाये/आंशिक वृक्षारोपण, आंशिक खुले क्षेत्र एंव आंशिक पहाड़ हेतु आरक्षित था एवं प्रचलित मास्टर प्लान 2033 में आंशिक स्पेशल ऐरिया, आंशिक अन्य सामुदायिक सुविधाये/आंशिक वृक्षारोपण एवं पहाड़ हेतु दर्शाया गया है। इस क्षेत्र को मास्टर प्लान प्रस्तावानुसार ही जोनल डवलपमेंट प्लान में यथावत दर्शाया गया है। अतः उक्त आपत्तियो को भी राज्य सरकार के निर्णयार्थ भिजवाई जाने के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत है।
3. 13 आपत्ति सुझाव कलेक्ट्रेट सर्किल से टोडरमल मार्ग होते हुए गोखले मार्ग के सामने स्थित सड़क से जिला एवं सैशन न्यायालय, अजमेर होते हुए राडवेज बस स्टैण्ड के मध्य भूभाग जिसका मास्टर प्लान 2023 प्रचलित मास्टर प्लान 2033 अनुसार भूउपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय के संबंध में है। इस भूभाग पर मुख्यतः सरकारी कार्यालय स्थित है परन्तु कुछ भाग पर मकानात बने हुए है एवं कुछ पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है जिनमें से कुछ आपत्तिकर्ताओ का कथन है कि उनके भवन निर्माण को नगर निगम अजमेर द्वारा अनुमोदित किया हुआ है एवं कुछ प्रकरणों में सक्षम स्तर से स्वीकृती का उल्लेख नही किया गया है। मास्टर प्लान प्रस्तावानुसार सक्षम स्तर से जारी स्वीकृती को मास्टर विकास योजना में यथावत समायोजित माना जायेगा। अतः इन आपत्तियों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
4. 10 आपत्ति/सुझाव महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से जनाना अस्पताल कि ओर जाने वाली मास्टर प्लान की 200 फिट चौड़ी सड़क से लगते हुए भूभाग जो कि मास्टर प्लान 2023 एवं प्रचलित मास्टर प्लान 2033 में अन्य सामुदायिक सुविधाये/पब्लिक फसिलिटी/विश्वविद्यालय हेतु आरक्षित के संबंध में है। उक्त समस्त भूउपयोगों में मास्टर प्लान के प्रस्तावों के विपरित भूउपयोग अनुज्ञेय नही किये जा सकते है। अतः स्वीकार्य योग्य नही होने से ये आपत्तिया खारिज की जाती है।
5. शेष सात आपत्तियां अलग–अलग स्थलो पर मास्टर प्लान प्रस्तावों के विपरित भूउपयोग दर्शाये जाने के क्रम में प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त आपत्तियां स्वीकार्य योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

विश्वविद्यालय जोन का विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र 2021 एवं प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र 2033 तैयार किया गया हैं। अतः विश्वविद्यालय जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रस्ताव परिभ्रमण/परिचलन के माध्यम से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

Scanned with CamScanner

11969-78
22-11-21

परिचलन बैठक में दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किये गये।

अजमेर विकास प्राधिकरणके अध्यक्ष एवं सदस्यगण

अध्यक्ष
अ.वि.प्रा, अजमेर।

श्रीमती बृजलता हाड़ा,
मेयर, नगर निगम,
अजमेर।

श्री अक्षय गोदारा,
आयुक्त, अ.वि.प्रा,
अजमेर

श्री किशोर कुमार,
सचिव,
अ.वि.प्रा अजमेर

जन स्वास्थय
अभियान्त्रिकी .विभाग,
अजमेर।

अजमेर विद्युत
वितरण निगम,
लिमिटेड़ अजमेर।

सार्वजनिक निर्माण
विभाग,
अजमेर

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग,
अजमेर जोन

सभापति, नगर
परिषद्, किशनगढ़,
अजमेर।

सभापति,
नगरपालिका बोर्ड,
पुष्कर, अजमेर।

Scanned with CamScanner